



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-1, खण्ड (क)
(उत्तराखण्ड अध्यादेश)

देहरादून, सोमवार, 22 सितम्बर, 2025 ई०

भाद्रपद 31, 1947 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या- 360 / XXXVI (3) / 2025 / 42(1) / 2025

देहरादून, 22 सितम्बर, 2025

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन मा० राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित ‘उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश श्री बद्रीनाथ तथा श्री केदारनाथ मंदिर अधिनियम, 1939) (संशोधन) विधेयक, 2025’ पर दिनांक: 18 सितम्बर, 2025 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या: 15 वर्ष, 2025 के रूप में सर्व-साधारण के सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश श्री बद्रीनाथ तथा श्री केदारनाथ मंदिर
अधिनियम, 1939) (संशोधन) अधिनियम, 2025
(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या-15 वर्ष, 2025)

उत्तर प्रदेश श्री बद्रीनाथ तथा श्री केदारनाथ मंदिर अधिनियम, 1939 में उत्तराखण्ड राज्य के परिप्रेक्ष्य में अग्रेत्तर संशोधन करने के लिए—

अधिनियम

भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में उत्तराखण्ड राज्य विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो—

- | | | |
|---------------------------|----|---|
| संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ | 1. | (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश श्री बद्रीनाथ तथा श्री केदारनाथ मंदिर अधिनियम, 1939) (संशोधन) अधिनियम, 2025 है।
(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा। |
| धारा 5 का संशोधन | 2. | उत्तर प्रदेश श्री बद्रीनाथ तथा श्री केदारनाथ मंदिर अधिनियम, 1939 की धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (छ) में “एक उपाध्यक्ष” शब्दों के स्थान पर “दो उपाध्यक्ष” शब्द रख दिये जायेंगे। |
| निरसन और व्यावृत्ति | 3. | (1) उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश श्री बद्रीनाथ तथा श्री केदारनाथ मंदिर अधिनियम, 1939)(संशोधन) अध्यादेश, 2025 (उत्तराखण्ड अध्यादेश संख्या :01 वर्ष 2025) एतत्द्वारा निरसित किया जाता है।
(2) ऐसे निरसन के होते हुये भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई समझी जाएगी। |

आज्ञा से,
धनंजय चतुर्वेदी,
प्रमुख सचिव।

उद्देश्य एवं कारणों का कथन

वर्तमान में बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति के अधीन 47 मंदिरों एवं बदरीनाथ-केदारनाथ यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं की बढ़ती हुयी संख्या को दृष्टिगत रखते हुए उक्त समिति में उपाध्यक्ष का एक अतिरिक्त पद सृजित किये जाने हेतु उत्तराखण्ड(उत्तर प्रदेश श्री बद्रीनाथ तथा श्री केदारनाथ मंदिर अधिनियम, 1939) (संशोधन) अध्यादेश, 2025 प्रख्यापित किया गया था।

2. प्रस्तावित विधेयक उक्त अध्यादेश का प्रतिस्थानी विधयेक है।

सतपाल महाराज
मंत्री

No. 360/XXXVI(3)/2025/42(1)/2025
Dated Dehradun, September 22, 2025

NOTIFICATION

Miscellaneous

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of **The Uttarakhand (Uttar Pradesh Shri Badrinath and Shri Kedarnath Temples Act , 1939) (Amendment) Act, 2025 (Act No. 15 of 2025).**

As passed by the Uttarakhand Legislative Assembly and assented to by the Governor on 18 September, 2025.

The Uttarakhand (Uttar Pradesh Shri Badrinath and Shri Kedarnath Temples Act, 1939) (Amendment) Act , 2025
[Uttarakhand Act No. 15 Year, 2025]

An

Act

further to amend the Uttar Pradesh Shri Badrinath and Shri Kedarnath Temples Act, 1939 in the context of Uttarakhand State,

Be it enacted by the Uttarakhand State Legislature in the seventy-sixth year of the Republic of India:-

Short title and 1. (1) This Act may be called the Uttarakhand (Uttar commencement. Pradesh Shri Badrinath and Shri Kedarnath Temples Act, 1939) (Amendment) Act, 2025.

(2) It shall come into force at once.

Amendment in 2. In clause (g) of sub-section (1) of section 5 of the Section 5 Uttar Pradesh Shri Badrinath and Shri Kedarnath Temples Act, 1939 for the words "a Vice Chairman" the words "two Vice Chairman" shall be substituted.

**Repeal
Savings**

- and 3. (1) The Uttarakhand (Uttar Pradesh Shri Badrinath and Shri Kedarnath Temples Act, 1939) (Amendment) Ordinance, 2025 (Uttarakhand Ordinance No. 01 Year, 2025) is hereby repealed.
- (2) Notwithstanding such repeal anything done or any action taken under the said Ordinance shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act.

By Order,

DHANANJAY CHATURVEDI,
Principal Secretary.

Statement of objects and Reasons

keeping in view the increasing number of devotees visiting the Badrinath-Kedarnath yatra and 47 temples presently under the Badrinath-Kedarnath Temple Committee to create an additional post of Vice-Chairman in the said committee, the Uttarakhand(Uttar Pradesh Shri Badrinath and Shri Kedarnath Temples Act, 1939) (Amendment) Ordinance, 2025 was promulgated.

2- The proposed bill is the replacing bill of the said Ordinance.

Satpal Maharaj
Minister